लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, श्री धीरेन्द्र कुमार, निदेशक, पताः 51, ए0 पी0 कॉलोनी, जिला–गया द्वारा गया फल्गु नदी बालू घाट संख्याः 07 मौजा–बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका, अंचल–बेलागंज एवं खिजसराय, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 28.06.2023 को अपराह्न 03:30 बजे अंचल कार्यालय, बेलागंज, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2287/2023, dated 14.02.2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 28.06.2023 को अपराह्न 03:30 बजे अंचल कार्यालय, बेलागंज, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 27.05.2023 एवं संशोधित दिनांक 28.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गु नदी बालू घाट संख्याः 07 मौजा–बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका, अंचल–बेलागंज एवं खिजसराय, जिला–गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया/सुझाव
1.	श्री मुन्ना कुमार, पिताः पशुराम सिंह, ग्रामः पंचरूखी, जिला–गया।	इनके द्वारा कहा गया कि धुल–कण की रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाना है परन्तु लेसी द्वारा नही किया जाता है, तो वे क्या करेगें। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि धूल–कण की रोकथाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव नियमति रूप से लेसी द्वारा किया जायेगा। लेसी द्वारा नहीं किये जाने पर ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी एवं जिला खनन पदाधिकारी से शिकायत की जा सकती है क्योंकि इनके द्वारा प्रति छः माह पर अनुपालन प्रतिवेदन सक्षम पदाधिकारी को जमा करना होता है। इसप्रकार श्री मुन्ना कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
2.	श्री मुकेश कुमार (मुखिया), पिताः स्व0 चेननारायण पासवान, ग्रामः पंचरूखी, जिला–गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन के दौरान कितने पेड़–पौधे लगाये जायेगें; इस संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 170 पेड़–पौधा

		खाली जगहो पर लगाना है परन्तु और अधिक लागवाना चाहते है तो, लेसी को खाली जगह दिखाकर उनसे ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधा लगाने हेतु कह सकते है। ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधा लगाने की बात को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया। इसप्रकार श्री मुकेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री बलिराम यादव, पिताः कारू यादव, ग्राम–लालगंज, जिला–गया।	इनके द्वारा बालू खनन से हमलोगो को क्या लाभ मिलेगा; इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा तथा ग्रामीणों के लिए पीने वाले जल की व्यवस्था आवश्यकतानुसार लेसी द्वारा की जायेगी। साथ ही बालू खनन होने से सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगा। इसप्रकार श्री बलिराम यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री उपेन्द्र यादव, ग्रामः मुरारचक, जिला–गया।	इनके द्वारा बच्चो को स्कुल जाने के समय बालू परिवहन से हो रहे सड़क जाम एवं दुधर्टना होने के संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बच्चों को स्कुल जाने एवं आने के समय बालू लदे वाहनो का संचालन नहीं किया जायेगा। अगर बालू परिवहन के दौरान किसी प्रकार की असामयिक दुर्धटना होने पर सरकार के द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस क्रम में दिनांकः 15.08.2021 के नये अधिसूचना के आलोक में परिवहन विभाग के द्वारा मुआवजा दिया जायेगा। इसप्रकार श्री उपेन्द्र यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

5.	श्री विनय कुमार (उपमुखिया), ग्रामः पंचलख, जिला–गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान सड़क टूटने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान जो भी ग्रामीण सड़क टूटेगा, उसकी मरम्मती लेसी को करना है। इसप्रकार श्री श्री विनय कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
6.	श्री अनुज कुमार, पिताः प्रमेश्वर महतो, ग्राम–पंचरूखी, जिला–गया।	इनके द्वारा बालू खनन के आस–पास ग्रामीणों के लिए बालू पर Royalty कम करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 में लागू अधिनियम के अनुसार सरकार के द्वारा तय किया गया दर से रेट किसी के लिए कम नही होगा। इसप्रकार श्री अनुज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया

28/6/2021

अपर समाहर्त्ता
गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स रमिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, श्री धीरेन्द्र कुमार, निर्देशक, पताः 51, ए0 पी0 कॉलोनी, जिला–गया द्वारा गया फल्गु नदी बालू घाट संख्याः 07 मौजा–बथरौरा, रौना, पचलाख एवं तरका, अंचल–बेलागंज एवं खिजसराय, जिला–गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 28.06.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, बेलागंज, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Manoj Kumar ADM, Gaya		28/6/2023
2.	Manmyan Kr Singh	R.O. B.S.P.C.B. Gaya	28-6-23
3.	Amresh Kr SDC cum DDO	Collectorate Gaya	28/06/23
4.	Nitish Kumar	Cognizance Research India Pvt. Ltd., Raja Bazar, Patna.	Nitish
5.	Gaurav Kumar	Cognizance Research India Pvt Ltd Patna	Gaurav Kr 28/6/23
6.	Manoj Yadav	Magnt [illegible] Gaya 9771630573	[signature]
7.	Rakesh Kumar	Vill Tarka. 9931536893	Rakesh Kum
8.	मानकीं राम	तरका	मानकीं राम
9.	Vijay Yadav	Vill – Tarka 9334363681	Vijay Yadav

10.	महेश यादव	ग्राम तरका 7295932101	महेश याद
11.	उदय कुमार	ग्राम अढ़ैया 9162862361	उदय कुमार
12.	सुरेन्द्र यादव	ग्राम पचमरव 8521377425	सुरेन्द्र यादव
13.	सुशील कुमार	ग्राम पचमरव पो० अढ़ैया चौकी थ० 8521751498	सुशील कुमार
14.	सुनील कुमार	पचमरव पो० अढ़ैया चौकी थाना खिजरसराय गया 8084343323	सुनील कुमार
15.	रोहित कुमार	ग्राम पचमरव	रोहित कुमार
16.	नरेन्द्र कुमार वर्मा	ग्राम - पचमरव पो० थाना चौकी खिजरसराय गया 8651266156	नरेन्द्र कुमार वर्मा
17.	अनिल कुमार गुप्ता	ग्रा० खिजरसराय 6202132934	[signature]
18.	कमलेश यादव	दलालचक 9915995739	[signature]
19.	मन्टू कुमार	दलालचक 7883943416	मन्टू कुमार
20.	सतीश यादव	दलालचक 7463939824	[thumbprint]

21.	सनोज यादव	हजनपुर 8368380448	सनोज यादव
22.	देवीलाल	ग्रा दरखा 9430970139	देवीलाल
23.	अनल कुमार	पचलख 6200047968	अनल कुमार
24.	Vinay Kumar	devgawn, chinmay Khagaria	Vinay Kumar
25.	आदित्य कुमार	7033030660 पचरुखी	आदित्य कुमार
26.	रविशंकर कुमार	ग्राम सैरैया	रविशंकर कुमार
27.	अनुज कुमार सिन्हा	ग्राम- पचरुखी 7294824233	Anuj Kumar Sinha
28.	जितेन्द्र कुमार	ग्राम बनारसी बिगहा 9973590566	Jitendra Kumar
29.	मुन्ना कुमार	ग्राम पचरुखी 9546068337	MK
30.	देवव्रत [illegible]	ग्राम पचरुखी 7294464626	Devvrat Kumar
31.	Mukesh Kumar	Village- Pacharukhi 8294316508	Mukesh Kumar

32.	बृजाराम पासवान	लालगांव 9162376805	बृजा[illegible]
33.	गंगा प्रसाद यादव	तरवां 9931756054	गंगा प्रसाद
34.	उपेन्द्र यादव	ग्रा०-मुरारचक पो० [illegible] मो०नं० 8409620778	Upendra yadav
35.	शिव कुमार मेहता	ग्राम पचरुखी, पो० पंचायत सिटोली, प्रखण्ड [illegible] जिला गया (बिहार) 7544076372	शिव कुमार मेहता
36.	सुनीता देवी	ग्राम पचरुखी	सुनीता देवी
37.	Somkumar	dawgaun - chowrey Khizarsarai. 7260989552	Somkumar
38.	Heera yadav	DALELCHAK (8521682165)	Heera prasad
39.	Rakesh-kumar	Dalelchak (6203029611)	Rakesh-kumar
40.	राजीव मांझी	मलिकचक २क	राजीव मांझी
41.	सतोष पासवान	पुनहपुर	सतोष पासवा[illegible]
42.	Ravi Kum	Tarka	Ravi Kum Yadav

43.	vinod kumar	Tanika 9798222439	vinod kumar
44.	निरज कुमार सिंह	नेलकिशाह तरका 9939203090	निरज कुमार सिंह
45.	अशोक कुमार	हलवाई 8210960148	अशोक कुमार
46.	रामदहिन प्रसाद	तरका 7782935921	रामदहिन प्रसाद
47.	विशाल कुमार	8789851554 तरका	[illegible]
48.	दिलीप कुमार	तरका 8757361635	Duleep kumar
49.	अनुराग शर्मा	तरका 8002698907	[illegible]
50.	रविन्द्र यादव	पत्रकार;	[illegible]
51.			
52.			
53.			